

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-40/2013-
प्रेषक,

/क०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

सेवा में,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

श्री नन्दीप नन्दन सिंह,
मेसर्स परफेक्ट क्रॉप साईस प्रा० लि०,
H/O-श्रीमती अनुराधा कुमारी,
W/O-श्री शैलेन्द्र कुमार,
खाता नं०-651, थाना-बाईपास,
शिवजी कॉलोनी, बड़ी पहाड़ी (पावर सब स्टेशन के सामने),
अगमकुँआ रोड, पटना-7

विषय :- कीटनाशी विक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 95 दिनांक 21.02.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या 95 दिनांक 21.02.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Monocrotophos 36% SL	18	Tricyclazole 75% WP
2	Imidacloprid 17.8%SL	19	2.4-D Ethyl Ester 38% E.C. (Having 2.4- Acid 34%W/W)
3	Acetamiprid 20% SP	20	Metribuzin 70% W.P.
4	Glyphosate 41% SL	21	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8 % SP
5	Mancozeb 75%WP	22	Metsulfuron methyl 20%WP
6	Chlorpyrifos 20%EC	23	Diafenthiuron 50% WP
7	Emamectin Benzoate 5% SG	24	Fenoxaprop-p-ethyl 9.3%EC
8	lambda cyhalothrin 5% EC	25	Gibberlic Acid 0.001%L
9	Cartap Hydrochloride 4% GR	26	Fipronil 5% SC
10	Captan 70%+Hexaconazole 5% WP	27	Thiophanate Methyl 70%WP
11	Triazophos 40% EC	28	Sulphur 80% WDG
12	Pendimethalin 30%EC	29	Tricyclazole 18%+Mancozeb 62%WP
13	Phorate 10% CG	30	Gibberellic acid 0.186 % S.P.
14	Hexaconazole 5% SC	31	Imidacloprid. 70% WG
15	Cartap Hydrochloride 50% SP	32	Buprofezin 25% Sc
16	Validamycin 3% L	33	Indoxacarb 14.5% SC
17	copper Oxychloride 50% WP		

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स परफेक्ट क्रॉप साईस प्रा० लि०, H/O-श्रीमती अनुराधा कुमारी, W/O-श्री शैलेन्द्र कुमार, खाता नं०-651, थाना-बाईपास, शिवजी कॉलोनी, बड़ी पहाड़ी (पावर सब स्टेशन के सामने),अगमकुँआ रोड, पटना-7

3- Profenophos 50% EC बैच नं०-P/C/102/002 विनिर्माण तिथि अगस्त 2013 अवसान तिथि जनवरी 15 अमानक पाये जाने के फलस्वरूप कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-3967 दिनांक 08.09.2014 द्वारा अभियोजना की स्वीकृति दी गई है, जिसके कारण इसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है।

4-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

5- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

6-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

9-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10- कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0 95 दिनांक 21.02.2014 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2265

/कृ0, पटना, दिनांक 16 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हेतु प्रेषित। (2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।